

भारत सरकार
GOVT. OF INDIAटेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-
2720634

दूरभाष/Telephone-0522-2720638

ई-मेल@E-mail:
up.gdc.soi@gov.in (Tech)निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/ManchitraBhawan
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)
East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (N.Z.)
5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ० प्र०)
5,VibhutiKhand, Gomti Nagar, LUCKNOW-226010(UP)सं० 10876
/37-जी-9

दिनांक : 20-12-2022

पूर्वी उ० प्र० भू-स्था निक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं० 16 /37-जी-9 दिनांक 19-12-2022

सचिव केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति; (C.G.E.W.C.C) लखनऊ के निर्णय के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ में वर्ष 2023 के अन्तर्गत राजपत्रित/प्रतिबंधित अवकाश (Gazetted Holidays / Restricted Holidays) की सूची इस प्रकार है :-

वर्ष 2023 के लिए राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) की सूची

क्र०सं०	राजपत्रित अवकाश	दिनांक	शक संवत्	दिनांक	सप्ताह का दिन
शक संवत् 1944					
01	गणतन्त्र दिवस	जनवरी 26	माघ	06	गुरुवार
02	होली	मार्च 08	फाल्गुन	17	बुधवार
शक संवत् 1945					
03	रामनवमी	मार्च 30	चैत्र	09	गुरुवार
04	महावीर जयंती	अप्रैल 04	चैत्र	14	मंगलवार
05	गुड फ्राईडे	अप्रैल 07	चैत्र	17	शुक्रवार
06	ईद-उल-फितर	अप्रैल 22	वैशाख	02	शनिवार
07	बुद्ध पूर्णिमा	मई 05	वैशाख	15	शुक्रवार
08	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	जून 29	आषाढ़	08	गुरुवार
09	मुहर्रम	जुलाई 29	श्रावण	07	शनिवार
10	स्वतन्त्रता दिवस	अगस्त 15	श्रावण	24	मंगलवार
11	जन्माष्टमी (वैष्णव)	सितम्बर 07	भाद्र	16	गुरुवार
12	मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (फ़ेगम्बर मोहम्मद की जयंती)	सितम्बर 28	आश्विन	06	गुरुवार
13	महात्मा गांधी जयंती	अक्टूबर 02	आश्विन	10	सोमवार
14	दशहरा	अक्टूबर 24	कार्तिक	02	मंगलवार
15	दिवाली (दीपावली)	नवम्बर 12	कार्तिक	21	रविवार
16	गुरु नानक जयंती	नवम्बर 27	अग्रहण	06	सोमवार
17	क्रिसमस डे	दिसम्बर 25	पौष	04	सोमवार

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से कोई भी दो अवकाश ले सकते हैं।

वर्ष 2023 के लिए प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holidays) की सूची

क्र०स०	अवकाश	दिनांक	शक संवत्	दिनांक	सप्ताह का दिन
शक संवत् 1944					
1	नववर्ष दिवस	जनवरी 01	पौष	11	रविवार
2	मकर सकान्ति/मघा बीहू	जनवरी 14	पौष	24	शनिवार
3	पोंगल	जनवरी 15	पौष	25	रविवार
4	बसन्त पंचमी/श्री पंचमी	जनवरी 26	माघ	06	गुरुवार
5	हजरत अली का जन्मदिवस गुरु रविदास जयंती	फरवरी 05	माघ	16	रविवार
6	स्वामी दयानन्द सरस्वती जयंती	फरवरी 15	माघ	26	बुधवार
7	महाशिवरात्री	फरवरी 18	माघ	29	शनिवार
8	शिवाजी जयन्ती	फरवरी 19	माघ	30	रविवार
9	होलिका दहन/ढोलयात्रा	मार्च 07	फाल्गुन	16	मंगलवार
शक संवत् 1945					
10	चैत्र सुकलादी/गुडी पड़वा/ उगादी/चैती चंद	मार्च 22	चैत्र	01	बुधवार
11	ईस्टर संडे	अप्रैल 09	चैत्र	19	रविवार
12	वैसाखी/ बिहु/ मेसादी	अप्रैल 14	चैत्र	24	शुक्रवार
13	वैसाखी (बंगाल)/भाग बिहु (आसाम)	अप्रैल 15	चैत्र	25	शनिवार
14	जमात-उल-विदा	अप्रैल 21	बैशाख	01	शुक्रवार
15	गुरु रबीन्द्रनाथ जयन्ती	मई 09	बैशाख	19	मंगलवार
16	रथयात्रा	जून 20	ज्येष्ठा	30	मंगलवार
17	पारसी नववर्ष /नौराज	अगस्त 16	श्रावण	25	बुधवार
18	विनायक चतुर्थी	अगस्त 20	श्रावण	29	रविवार
19	ओणम या थिरु ओणम दिवस	अगस्त 29	भाद्र	07	मंगलवार
20	रक्षा बंधन	अगस्त 30	भाद्र	08	बुधवार
21	जन्माष्टमी (स्मार्त)	सितम्बर 06	भाद्र	15	बुधवार
22	गणेश चतुर्थी	सितम्बर 19	भाद्र	28	मंगलवार
23	दशहरा (महा सप्तमी)	अक्टूबर 21	आश्विन	29	शनिवार
24	दशहरा (महाअष्टमी)	अक्टूबर 22	आश्विन	30	रविवार
25	दशहरा (महानवमी)	अक्टूबर 23	कार्तिक	01	सोमवार
26	महर्षि वाल्मीकी जयंती	अक्टूबर 28	कार्तिक	06	शनिवार
27	करक चतुर्थी (करवा चौथ)	नवंबर 01	कार्तिक	10	बुधवार
28	नरक चतुर्दशी	नवंबर 12	कार्तिक	21	रविवार
29	गोवर्धन पूजा	नवंबर 13	कार्तिक	22	सोमवार
30	भाई दूज	नवंबर 15	कार्तिक	24	बुधवार
31	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	नवंबर 19	कार्तिक	28	रविवार
32	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	नवंबर 24	अग्रहायण	03	शुक्रवार
33	क्रिसमस संख्या	दिसंबर 24	पौष	03	रविवार

- प्रतिबंधित अवकाश (RH) लेने से पूर्व लिखित अनुमति लेना होगा और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी जो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत है। इनका रिकार्ड अवकाश पत्रिका में दर्ज किया जायेगा।
- राष्ट्रीय अवकाश (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गाँधी जयंती) फील्ड के दौरान भी मनाये जायेगे। फील्ड में कार्यरत कर्मी फील्ड के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश के अनुसार ही अवकाश एवं प्रतिपूरक अवकाश लेने।
- अवकाशों में तत्काल स्वरूप के कार्य (Urgent Nature of Work) का निष्पादन करने पर उस छुट्टी के स्थान पर आगामी किसी दिन प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे, इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी ड्यूटी करने के एक माह के अंदर लेना होगा। प्रतिपूरक अवकाश जमा नहीं किया जायेगा, प्रतिपूरक अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मियों को ही देय होगा।

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)

निदेशक

Signed by Rajiv Kumar पूर्वी 30प्र0भू-स्थाकनिकऑकडा केन्द्रs लखन

Srivastava

Date: 19-12-2022 17:44:35

Reason: Approved

प्रतिलिपि- 1- भारत के महासर्वेक्षक देहरादून को सूचनार्थ।

2- अपर महासर्वेक्षक उत्तरी क्षेत्र चण्डीगढ़ को सूचनार्थ।

3 प्रभारी बैवसाईट - बैवसाईट में अपलोड हेतु।

4- वरिष्ठा लेखा अधिकारी केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय देहरादून।

4- कार्यालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

5 - नोटिस बोर्ड